रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 25, 1909
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1987

आदेश

का. आ. 391 (अ) :—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या एस. डब्ल्यू./एम. सी. एस.—6/85—एस. एल. दिनांक 19-8-1985] द्वारा नौवहन महानिदेशक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन

महानिदेशक उक्त अधिनियम की धारा 412 की उपधारा 1 के अधीन आदेश देते हैं कि कलकत्ता और हल्दिया से तटीय कोयला व्यापार के लिए वर्तमान मूल-भाड़ा के ऊपर अतिरिक्त भाड़ा अधिभार और अतिरिक्त बंकर अधिभार निम्न दर्शित तारीख से संदाय होंगा। जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है।

(1) तूतिकोरिन में कोयला निकालने के लिए:—

बंकर के बाजू में	लंगर पर खड़े जहाज से निकालने के लिए
15-12-85 से रु. 17/—प्रतिटन	रु. 20/—प्रतिटन
16-1-86 से रु. 20/—प्रतिटन	रु. 23/—प्रतिटन
14-7-86 से रु. 26/—प्रतिटन	रु. 29/—प्रतिटन

प्रवीण सिंह, नौवहन महानिदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 10th April, 1987

ORDER

S.O. 391(E).—In exercise of powers conferred on the Director General of Shipping by the Central Government under sub-section (2) of Section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 by an order No. SW/MCS—6/85—SL dated 19-8-1985 of the Central Government, the Director General orders under sub-section (1) of Section 412 of the said Act that additional freight surcharges over the existing basic freight and bunker surcharge additionals for coastal coal movement from Calcutta and Haldia shall be payable as indicated below from the respective dates :

(i) For Tuticorin Coal Discharge:—

At: Alongside Berth	For Stream Discharge
W.E.F. 15-12-85 Rs.17/— per ton	Rs.20/— per ton.
—do— 16.1-86 Rs.20/— per ton	Rs.23/— per ton.
do — 14-7-86 Rs.26/— per ton	Rs.29/— per ton.

PARVEEN SINGH, Director General of Shipping.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987